2019/00397

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **320**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया SMECC, जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स फैशन स्टाईल्स प्रोपराईटर श्री अर्पित पुत्र श्री ललित कुमार गोदीका
   722, गोदीका भवन बोरडी का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुनर
2. श्री अर्पित पुत्र श्री ललित कुमार गोदीका
   पता–प्लाट नम्बर 205, गुरूनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः—बैक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18-11-2019

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 30.12.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में 722, गोदी का भवन, बोरडी का रास्ता, किशन पोल बाजार, जयपुर पर स्थित चल सम्पत्ति एन्टायर करन्टर एसेस्ट्स एण्ड फिक्स एसेस्ट आई ई का स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्प्रेस, एण्ड मूवेबल प्लान्ट एण्ड मशीनरी इत्यादि को हाईपोथीकेटेड कर कुल रूपये 10,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.07.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। जिसकी प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रेकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया गया है। अतः ...

securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security int
Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वी
किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्लाट नम्बर 3, नया माता मन्दिर के सामने दे
बाईपास रोड, जयपुर पर स्थित हाईपोथीकेटेड एन्टायर स्टॉक ऑफ फर्निशड बुड्स, स्टोर्स
स्पेस, स्टॉक इन ट्रान्सिट, सनड्रे डेबिटर्स, बुक डेबिट्स, रिसीवेबल एण्ड अदर करन्ट एसेस्ट
प्लान्ट एण्ड मशीनरी इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलि
सूचना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखि
दफ्तर हो ।

5. आदेश आज दिनांक 18-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर